

भारत सरकार  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

वेज़ा नम्बर 24-25  
दक्षिण मार्ग, सेक्टर 31-गे  
चंडीगढ़-160030

फाइल नम्बर: 9-PBB391/2016-CHA

दिनांक: गुरुवार, 7 जुलाई 2016

सेवा में,

नोडल ऑफिसर,  
एफ० सी० ए० & सी० सी० एफ० (एफ सी)  
पंजाब सरकार, वन कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 68,  
एस० ए० एस० नगर (मोहाली), पंजाब

**विषय: Diversion of 0.035 ha of forest land in favour of M/s Om Sons Marketing Pvt. Ltd. for proposal for laying 1”-6” Hume Pipe line for factory on Lissara Drain L/s Bathinda-Dabwali road KM 22-23 B/s at Village Sangat Kalan under Forest Division and District Bathinda, Punjab**

सन्दर्भ: 1. पंजाब सरकार के पत्र संख्या FCA/1980/222/2016/6088 दिनांक 23.06.2016.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.035 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करें:-

- पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- ले आउट प्लान का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन।
- The purpose of affixing hume pipe in forest land in a zero discharge project be submitted.
- a) The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry in its letter No. 11-9/1998-FC (pt) dated 3rd August 2009 read with letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 5th February 2013, in support thereof and submit certificate in prescribed format;

OR

b) As prescribed by this Ministry in its letter No. 11-09/98-FC 9(pt), dated 28th October, 2014, in case of plantations which were notified as 'forest', a certificate from the concerned District collector to the effect that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes as per the census-2001 & the census 2011, be issued and submitted to meet requirements of clause (a), read with clause (d) & clause (g) in second para of this Ministry's letter issued vide F.No.11-9/1998-FC (Pt), dated 3rd August 2009.

3. उपरोक्त जानकारी, इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें। जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

(एस० डी० शर्मा)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

- वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला बठिंडा पंजाब।
- सरबजीत सिंह, सुपुत्र श्री सुरिंदर सिंह, मै० ओम संस मार्केटिंग प्रा० लि०, गाँव सांगत कलां, जिला बठिंडा, पंजाब।